न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 37 / 2023

1 सन्तोष देवी पत्नी झाबरमल उम्र 65 साल
2 सुरेन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 41 साल
3 सत्येन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 39 साल
जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 19 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
4 राजबाला पुत्री झाबरमल पत्नी राकेश कुमार उम्र 45 साल जाति माली हाल आबाद शांति नगर राजगढ़ रोड़ निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिता पुत्री झाबरमल उम्र 40 साल पत्नी मांगेलाल जाति माली हाल आबाद बाणियों की ढाणी बगड़ जिला झुन्झुनूं।
6 अनिता पुत्री झाबर उम्र 32 साल पत्नी राजेश कुमार जाति माली हाल आबाद मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रामेश्वरलाल पिरूराम उम्र 78 साल
2 बाबुलाल पुत्र रामेश्वर उम्र 55 साल
3 सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 52 साल
4 पवन कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 47 साल
5 मन्जु देवी पत्नी बाबुलाल उम्र 53 साल
6 राजकुमारी पत्नी सज्जनसिंह उम्र 50 साल
7 मधुबाला पत्नी पवन कुमार उम्र 45 साल
8 राहुल पुत्र बाबुलाल उम्र 28 साल
9 नवीन कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 26 साल
10 रूचिका खडोलिया पुत्री बाबुलाल उम्र 30 साल
11 मन्थन पुत्र सज्जन सिंह उम्र 23 साल
12 श्योबाई पत्नी रामेश्वर उम्र 75 साल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 19 नया कुआ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

13 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद उम्र 45 साल जाति माली निवासी मण्डावा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

14 विनिता पुत्री ओमप्रकाश उम्र 43 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

15 पूजा पुत्री ओमप्रकाश उम्र 43 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

16 मितेश सैनी पुत्र संतकुमार जाति माली निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

17 संतकुमार पुत्र प्रहलाद राय जाति माली निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

18 योगेश कुमार पुत्र हरचन्द लाल जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

19 देवेन्द्र सैनी पुत्र हरचन्द लाल जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

20 रजत कुमार पुत्र राधेश्याम जाति माली निवासी मावण्डिया की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

21 राधेश्याम पुत्र जमनाधर जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

22 शारदा देवी पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

23 लीना पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

24 रोहिताश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति माली निवासी मावण्डिया की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

25 सरिता पत्नी योगेश कुमार जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

26 उप पंजीयक सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 03.01.2023 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं मु. उनवानी संतोष देवी बनाम रामेश्वर वगै.
मु.नं. 104/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (मौजुदा
अपील में कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित
निर्णय के विरूद्ध है।)

अपील संख्या 38/2023

1 सन्तोष देवी पत्नी झाबरमल उम्र 65 साल
2 सुरेन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 41 साल
3 सत्येन्द्र पुत्र झाबरमल उम्र 39 साल
जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 19 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
4 राजबाला पुत्री झाबरमल पत्नी राकेश कुमार उम्र 45 साल जाति माली हाल आबाद शांति नगर राजगढ़ रोड़ निवासी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
5 सुनिता पुत्री झाबरमल उम्र 40 साल पत्नी मांगेलाल जाति माली हाल आबाद बाणियों की ढाणी बगड़ जिला झुन्झुनूं।
6 अनिता पुत्री झाबर उम्र 32 साल पत्नी राजेश कुमार जाति माली हाल आबाद मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रामेश्वरलाल पिरूराम उम्र 78 साल
2 बाबुलाल पुत्र रामेश्वर उम्र 55 साल
3 सज्जन कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 52 साल
4 पवन कुमार पुत्र रामेश्वर उम्र 47 साल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

5 मन्जु देवी पत्नी बाबुलाल उम्र 53 साल
6 राजकुमारी पत्नी सज्जनसिंह उम्र 50 साल
7 मधुबाला पत्नी पवन कुमार उम्र 45 साल
8 राहुल पुत्र बाबुलाल उम्र 28 साल
9 नवीन कुमार पुत्र बाबुलाल उम्र 26 साल
10 रूचिका खडोलिया पुत्री बाबुलाल उम्र 30 साल
11 मन्थन पुत्र सज्जन सिंह उम्र 23 साल
12 श्योबाई पत्नी रामेश्वर उम्र 75 साल
समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 19 नया कुआ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

13 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद उम्र 45 साल जाति माली निवासी मण्डावा हाल आबाद सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

14 विनिता पुत्री ओमप्रकाश उम्र 43 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

15 पूजा पुत्री ओमप्रकाश उम्र 43 साल जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

16 मितेश सैनी पुत्र संतकुमार जाति माली निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

17 संतकुमार पुत्र प्रहलाद राय जाति माली निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

18 योगेश कुमार पुत्र हरचन्द लाल जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

19 देवेन्द्र सैनी पुत्र हरचन्द लाल जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

20 रजत कुमार पुत्र राधेश्याम जाति माली निवासी मावण्डिया की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

21 राधेश्याम पुत्र जमनाधर जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

22 शारदा देवी पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

23 लीना पुत्री राधेश्याम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 पिलानी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

24 रोहिताश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति माली निवासी मावण्डिया की ढाणी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
25 सरिता पत्नी योगेश कुमार जाति माली निवासी जयसुख की ढाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
26 उप पंजीयक सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 03.01.2023 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं मु. उनवानी संतोष देवी बनाम रामेश्वर वगै.
मु.नं. 104/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा (मौजुदा
अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
को खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध है।)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.87 हैक्टेयर, सरहद राजस्व ग्राम सिंघाना तहत तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं में स्थित है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन में से दक्षिण दिशा की 0.24 हैक्टेयर की घोषणा रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र के साथ अपीलान्टस ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक के वाद पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रतिदावा प्रस्तुत किया जिसके साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 25 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने प्रतिदावा के साथ काउंटर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 25 के द्वारा प्रस्तुत काउंटर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर लिया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विचाराधीन निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपने स्वयं के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में खारिज विचाराधीन निर्णय व क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्टस के हक में मानने में कानूनी गलती की है विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस के हक में प्रथम दृष्टया मामला मानने का आधार यह दर्ज किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 164/2021 थाना सिंघाना के प्रकरण में आवेदक नम्बर 1 से 3 गिरफ्तार हुये है कानून से पुलिस व फौजदारी न्यायालय की फाईडिंग मानने के लिए राजस्व न्यायालय बाध्य नहीं है तथा प्रकरण जैर विचारण है कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ तथा अपीलान्टस के कब्जा में खसरा नम्बर 135 की दक्षिण दिशा की 1.12 हैक्टेयर जमीन है जो गुगल मैप से भली भांति साबित है एवं विभाजन को अपीलान्टस ने गलत होना व मिस रिप्रजेन्ट करके गलत हस्ताक्षर करवाना दर्ज किया है उपरोक्त तथ्य मूलवाद में बाद शपथपूर्वक साक्ष्य साबित होने है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्टस के हक में बनता है। विचारण न्यायालय ने सुविधा का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

संतुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी गलत रूप से रेस्पोडेन्टस के पक्ष में तय किया है खसरा नम्बर 135 की दक्षिण दिशा की 1.12 हैक्टेयर जमीन पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त होना स्पष्ट है तथा खसरा नम्बर 135 की दक्षिण दिशा की 1.12 हैक्टेयर जमीन की खातेदारी की घोषणा बाबत अपीलान्टस की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्टस के पक्ष में है। विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.01.2023 तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट नहीं है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की काउन्टर टी.आई. स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 खारिज किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रिलिफ के मुताबिक स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.87 हैक्टेयर के रेस्पोडेन्ट खातेदार–काश्तकार है तथा सन 2007 में दोनो पक्षों ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना के समक्ष उपस्थित होकर इस भूमि का खाता विभाजन करवाया है एवं विभाजन में यह भूमि रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हुई है इसलिए उक्त सहमति से अपीलान्ट पाबन्द है तथा जिस 30.01.2011 की लिखावट का अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है उसके संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा एफ.आई.आर. नं. 164/2019 पुलिस थाना सिंघाना प्रस्तुत की है एवं इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि इस मुकदमें में अनुषंधान के दौरान आवेदक संख्या 1 लगायत 3 को पुलिस ने प्रथम दृष्टया दोषी मानकर गिरफ्तार किया है तथा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 05.07.2021 को तहसीलदार के आदेश से अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त करना भी बताया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस का खातेदार होने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर • (मुख्यालय)

से एवं परस्पर सहमति से विभाजन होने से यह प्रथम दृष्टया मामला है। अपीलान्ट ना तो इस भूमि के खातेदार है ना ही उन्होंने तहसीलदार बुहाना द्वारा सहमति के किये गये विभाजन की ना तो अपील या निगरानी पेश की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में एवं रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.87 हैक्टेयर के रेस्पोडेन्ट खातेदार–काश्तकार है तथा सन 2007 में दोनो पक्षों ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना के समक्ष उपस्थित होकर इस भूमि का खाता विभाजन करवाया है एवं विभाजन में यह भूमि रेस्पोडेन्ट को प्राप्त हुई है।

इसलिए उक्त सहमति से अपीलान्ट पाबन्द है तथा जिस 30.01.2011 की लिखावट का अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है उसके संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा एफ.आई.आर. नं. 164/2019 पुलिस थाना सिंघाना प्रस्तुत की है एवं इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि इस मुकदमें में अनुषंधान के दौरान आवेदक संख्या 1 लगायत 3 को पुलिस ने प्रथम दृष्टया दोषी मानकर गिरफ्तार किया है तथा रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 05.07.2021 को तहसीलदार के आदेश से अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त करना भी बताया गया है।

इस प्रकार रेस्पोडेन्टस का खातेदार होने से एवं परस्पर सहमति से विभाजन होने से यह प्रथम दृष्टया मामला है। अपीलान्ट ना तो इस भूमि के खातेदार है ना ही उन्होंने तहसीलदार बुहाना द्वारा सहमति के किये गये विभाजन की ना तो अपील या निगरानी पेश की है। ऐसी स्थिति में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में एवं रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय.का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (अतिरिक्त प्रभार झुन्झुनूं)